आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 02 of 2018
Dist.:-Patna

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S., Chairman-Cum-Member.

Shri Santosh Kumar - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar. - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner : Shri Shambhu Sharan Singh, Advocate
For the OP :

ORDER

31.07.2018

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग उपस्थित।

प्रस्तुत सेवा अपीलवाद सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक– 12584 दिनांक– 03.10.2017 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–71 दिनांक 30.01.2014 द्वारा श्री संतोष कुमार, तत्कालीन सहायक, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, आपदा प्रबंधन विभाग सम्प्रति सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, संदेहजनक आचरण बरतने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त प्रतिवेदित आरोप/आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17/19 के संगत प्रावधानों के अधीन संबंधित आरोप पत्र (प्रपत्र–'क' में) तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए विभागीय ज्ञापन

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	सं– 2755 दिनांक– 26.02.2014 द्वारा श्री संतोष कुमार, सहायक से बचाव का एक लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक– 09.05.2014 को बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। अभिकथन में श्री कुमार द्वारा अपने विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया। प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित अभिकथन पर नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, आपदा प्रबंधन विभाग से मंतव्य की मांग की गई। बार–बार स्मारित करने के बावजूद प्रशासी विभाग से वांछित मंतव्य अप्राप्त रहा। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं उसके संदर्भ में आरोपी द्वारा समर्पित अभिकथन पर सम्यक रुप से विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के आलोक में प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री गोरखनाथ, विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गाय। विस्तृत जॉचोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोपी श्री संतोष कुमार के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित बताया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वार जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के आलोक में जॉच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक– 8541 दिनांक– 13.07.2017 द्वारा श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अभ्यावेदन समर्पित करने का अवसर प्रदान किया गया। इस संदर्भ में आरोपी श्री संतोष कुमार द्वारा दिनांक– 28.07. 2017 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं उक्त प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षोपरांत अनुशासनिक	

अनुसूची 14 – फारम संख्या 562

देश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को 'चेतावनी' की सजा देने का निर्णय लिया गया, जिसकी प्रविष्टि उनकी चरित्र पुस्त में की गयी।

अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उनके विरुद्ध मुख्य आरोप श्री मिथिलेश कुमार सिंह, अनुदेशक के गृह मरम्मति के लिए सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन के प्रसंग में निर्धारित प्रावधान से पुनर्निर्माण को मरम्मति बताते हुए अग्रिम स्वीकृति का प्रस्ताव उपस्थापित किया गया है। उक्त आरोप के लिए उन्हें चेतावनी की सजा दी गई एवं इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्त में कर दिया गया, जिसके कारण उनकी प्रोन्नति अवरुद्ध हो गयी है। उनके द्वारा की गई गलती के विरुद्ध दिया गया दंड आनुपातिक (Proportionate) नहीं है।

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन द्वारा बताया गया कि श्री कुमार को दिया गया दंड आनुपातिक है।

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अपीलार्थी को दिया गया दंड आनुपातिक (Proportionate) नहीं है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग (अनुशासनिक प्राधिकार) को निदेश दिया जाता है कि मामले में पुनर्विचार कर Fresh Order पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

31/7/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

31/7/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।